

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्या: ई0एक्स0एन0-ए (3)-4/2023-लूज तारीख शिमला-02

17.10.2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 21-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची-11 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में मद संख्या 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 18. लैड ₹ 0.25 प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए।"

आदेश द्वारा,

(भरत खेड़ा)

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: ई0एक्स0एन0-ए(3)-4/2023-लूज तारीख: शिमला-02.

17.10.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 11.10.2023 की मद संख्या: 38 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला-09
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि0 प्र0।
4. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उड़न दस्ता, दक्षिण क्षे, परवाणु/ उत्तरी, क्षेत्र पालमपुर/ मध्य क्षेत्र रुना हि0 प्र0।
5. समस्त उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0।
6. संरक्षण नस्ति।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)

विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Adtl. CST & E (I) (Admin/HQ/TRU/GST)	✓
Adtl. CST & E (G-II) (Admin/HQ/ITD/TAU/A Tax)	✓
JL/Dy. CST & E (HQ/IT/EIU/LTPU/Legal)	
Dy./Assst. Controller (F&A)	
Dy. CST & E (Tax/A. Tax/Excise/EIU/LTPU/TAU)	
Assst. CST & E (HQ/Tax/EIU/TAU/Helpdesk & CRU)	
Supdt. Grade-1	
PS/PA/Reader	

Commissioner of State Tax & Excise,
Himachal Pradesh.

19.10.23

Bhuvnesh

[Signature]
Dy. Commissioner State Taxes & Excise (G-II)
Himachal Pradesh
20/10/23

State Taxes and Excise
Dy. 15929
27 OCT 2023
Himachal Pradesh